जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 06.05.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त छोटू गिरी पुत्र ढोढ़ई साकिन झुंगिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को आज दिनांक 06.05.2025 को ग्राम मेड़रापार के पास से कुल 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

छोटू गिरी पुत्र ढोढ़ई साकिन झुंगिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 162/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- कुल 400 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ0 नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, कां0 प्रवेश यादव, कां0 राजन खरवार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 122 वाहनों से 1,34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 122 वाहनों से 1,34,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को ***मा0न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 191/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त राशिद अली पुत्र असगर अली निवासी नई बाजार थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को ***मा0न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/ एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 190/2020 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त जमाल अशरफ पुत्र बदरुद्दीन अंसारी निवासी मु0 नई बाजार थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर को धारा-60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को मारपीट के मामलें में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को ***मा0न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

एनसीआर 162/1999 धारा 323/504 भा0द0वि0 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त दयाशंकर राय पुत्र रामाश्रय राय निवासी सिरसी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के मामलें में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 06.05.2025 को ***मा0न्यायालय जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर*** के द्वारा 01 अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

एनसीआर 294/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त नन्दू केवट पुत्र सदल केवट निवासी भिखारीपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धारा 25 आर्म्स एक्ट के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास से भुगतना होगा।